न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/106/2023 रजू दिनांक: 17.08.2023 रजि0 न0 2023/639

अपीलार्थी:–
श्री रघु यादव, चैम्बर नं0329, ब्लॉक–ए, जिला व सत्र न्यायालय रेवाड़ी–123401 (हरियाणा)

प्रत्यर्थी:–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 18.09.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.08.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी/प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/1543 दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 की पालना में उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित की गई आंतरिक परिवाद समिति के संबंध में विविध बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी। प्रकरण में वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय के पत्रांक लो0सू0अ0/अन्तरण/2023/1299–1300 दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उप निदेशक, महिला अधिकारिता, अलवर को अन्तरित किया जा चुका है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पंजीकृत–पत्र के माध्यम से पृष्ठांकित की गई है। अग्रिम जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें अथवा प्राप्त नहीं होने पर उनके ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी के संबंध में अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त कर संबंधित को सूचना का अधिकार अधि0 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करें। अपील माननीय न्यायालय में श्रवण योग्य नहीं है, साथ ही इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अपील के अनुकम में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रत्यर्थी द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 से संबंधित आंतरिक परिवाद समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यालय में किये जाने के आदेश है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को उक्त संबंध में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर, (राज0)